सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 224/2011 दायर दिनाँक 23.11.2011

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. लिछमणसिंह पुत्र चिमनसिंह, 2. गोपालसिंह पुत्र चिमनसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–दौलतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कल्याणसिंह पुत्र चिमनसिंह, 2. हनुमानसिंह पुत्र भँवरसिंह, 3. उगमसिंह पुत्र भँवरसिंह, 4. बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–दौलतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. उच्छबकँवर पुत्री भँवरसिंह पत्नी भँवरसिंह, हाल,निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. विमलसिंह पुत्र गोपालसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–दौलतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. रजियाबानो पत्नी हाकमअलीखाँ, 9. मुनीबानो पत्नी बुन्दुखाँ, समस्त,जाति–दौलतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 224/2011
दायर दिनाँक 23.11.2011, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
लिछमणराम, वगैरा बनाम् कल्याणसिंह, वगैरा।

उपस्थितः–

1. पक्षकारान्।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 30.06.2018

शरहद मौजा दौलतपुरा के खेत खसरा संख्या 457 रकबा 0.07 वीघा व खसरा नम्बर 458 रकबा 0.05 वीघा तथा खसरा नम्बर 459 रकबा 54.04 वीघा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी, वन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बावत् वादीगण का वाद दिनाँक 12.06.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने पत्रांक 2510 दिनाँक 20.12.2017 के जरिये विभाजन प्रस्तावित किया।

उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण ने जरिये वकील आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि, नजरीनक्शा अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। उक्त माका फर्द मुताबिक, विभाजन प्रस्ताव बिना पक्षकारान् की उपस्थिति के ही किन्हीं मौके से अनभिज्ञ व्यक्तियों से ही मात्र पूछताछ कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने में सम्बन्धित कार्मिकों ने विधिक त्रूटि की है जिस कारण से उक्त विभाजन पर न्यायालय सहमत नहीं है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व लोक अदालत, फोलोअप कैम्प–डीडवाना में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। वादीगण ने जरिये वकील निवेदन किया कि, तहसीलदार डीडवाना द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 2510 दिनाँक 20.12.2017 जो फर्द पेश किया गया है उस अनुसार मौका पर पक्षकारान् काविज नहीं है इसलिए उसके

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 224 / 2011
दायर दिनाँक 23.11.2011, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
लिछमणराम, वगैरा बनाम् कल्याणसिंह, वगैरा।

सम्बन्ध में वादीगण ने पूर्व में अपनी आपत्ति कर रखी है। वादीगण ने जरिये वकील दलील पेश की कि, वादग्रस्त भूमि पर वादीगण नजरीनक्शा प्रदर्श–03 में दर्शित मुताबिक काबिज हैं तथा इसी अनुरूप ही दावा डिक्री किया जावे। मजमें आम में सम्बन्धित हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार डीडवाना से वाद में जानकारी ली गयी तो सभी ने वादीगण का वाद नजरीनक्शा में दर्शित बन्टवारा अनुसार भूमि का पक्षकारान् खातेदारी दी जाने की अपनी–अपनी मंशा जाहिर की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् इस्तदुआ पर मनन् किया। मजमें आम में प्राप्त जानकारी पर विवेचन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री सादिर कर, शरहद दौलतपुरा में खसरा नम्बर 459 रकबा 54.04 बीघा में से हिस्सा 1/2 भाग रकबा 27.02 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि रकबा 13.11 बीघा का वादी संख्या 01 लिछमणसिंह व रकबा 13.11 बीघा भूमि का वादी संख्या 02 गोपालसिंह को तथा सम्पूर्ण रकबा में से हिस्सा 1/2 भाग रकबा 27.02 बीघा भूमि में से रकबा 06.15 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को व रकबा 06.15 बीघा भूमि का वादी संख्या 02 को व रकबा 10.04 बीघा का वादी संख्या 01 लिछमणसिंह को तथा शेष भूमि रकबा 03.08 बीघा का प्रतिवादी संख्या 06 को खातेदार घोषित जाना और शरहद दौलतपुरा के खसरा नम्बर 458 रकबा 0.05 बीघा गैरमुमकिन में से हिस्सा 1/2 भाग का वादीगण को व हिस्सा 1/2 भाग का हिस्सा 3/4 भाग का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 को तथा शेष 1/2 भाग का हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 224/2011
दायर दिनाँक 23.11.2011, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
लिछमणराम, वगैरा बनाम् कल्याणसिंह, वगैरा।

को खातेदार घोषित किया जावे और शरहद दौलतपुरा के खसर नम्बर 457 रकबा 0.07 बीघा में से हिस्सा 1/4 भाग का वाद संख्या 01 को व हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 02 को व हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को खातेदार घोषित किया जाना अज अदालत के को जायग लगता है।

अतः, वाद विवेचन, वादीगण की इस्तदुआ मुताबिक निम्नानुसार दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद दौलतपुरा के वादवर्णित/वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी खारिज कर इसके स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ"/प्रदर्श–03 दिनाँक 11.06.2012 में दर्शित/वर्णित मुताबिक भूमि, की खातेदारी निम्नानुसार घोषित किया जाता है:–

1. **खसरा नम्बर 459 रकबा 54.04 बीघा भूमि में से,** रकबा **13.11** बीघा का वादी संख्या 01 को व रकबा **13.11** बीघा भूमि का वादी संख्या 02 को व रकबा **06.15** बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को व रकबा **06.15** बीघा भूमि का वादी संख्या 02 को व रकबा **10.04** बीघा का वादी संख्या 01 को तथा शेष भूमि रकबा **03.08** बीघा का प्रतिवादी संख्या 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 458 रकबा 0.05 बीघा गैरमुमकिन में से**, हिस्सा 1/2 भाग का वादीगण को व हिस्सा 3/8 भाग का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 को तथा शेष हिस्सा 1/8 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को खातेदार घोषित किया जाता है।
3. **खसर नम्बर 457 रकबा 0.07 बीघा में से,** हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 01 को व हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 02 को व हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा शेष हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को खातेदार घोषित किया जाता है।
4. उपर्युक्त खसरान् से सम्बन्धित रहन सम्बन्धित खातेदारान् के ही बदस्तूर जारी रहेगा।
5. वादीगण के पक्ष में, जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि, उपर्युक्त खसरान् संख्या 457, 458 व 459 में से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 224/2011
दायर दिनाँक 23.11.2011, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
लिछमणराम, वगैरा बनाम् कल्याणसिंह, वगैरा।

वादीगण/पक्षकारान् के हिस्से/कब्जाकाश्त की भूमि में किसी प्रकार दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें।

उपर्युक्त घोषित खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ"/प्रदर्श–03 दिनाँक 11.06.2012, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 30.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 224/2011 दायर दिनॉक 23.11.2011

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. लिछमणसिंह पुत्र चिमनसिंह, 2. गोपालसिंह पुत्र चिमनसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–दौलतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कल्याणसिंह पुत्र चिमनसिंह, 2. हनुमानसिंह पुत्र भँवरसिंह, 3. उगमसिंह पुत्र भँवरसिंह, 4. बजरंगसिंह पुत्र भँवरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–दौलतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. उच्छबकँवर पुत्री भँवरसिंह पत्नी भँवरसिंह, हाल,निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. विमलसिंह पुत्र गोपालसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–दौलतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. रजियाबानो पत्नी हाकमअलीखॉ, 9. मुनीबानो पत्नी बुन्दुखाँ, समस्त,जाति–दौलतपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

दिनॉक 30.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा डिक्री सादिर कर शरहद दौलतपुरा के वादवर्णित/वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी खारिज कर इसके स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ"/प्रदर्श–03 दिनॉंक 11.06.2012 में दर्शित/वर्णित मुताबिक भूमि, की खातेदारी निम्नानुसार घोषित किया जाता हैः–

1. **खसरा नम्बर 459 रकबा 54.04 बीघा भूमि में से,** रकबा **13.11** बीघा का वादी संख्या 01 को व रकबा **13.11** बीघा भूमि का वादी संख्या 02 को व रकबा **06.15** बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को व रकबा **06.15** बीघा भूमि का वादी संख्या 02 को व रकबा **10.04** बीघा का वादी संख्या 01 को तथा शेष भूमि रकबा **03.08** बीघा का प्रतिवादी संख्या 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. **खसरा नम्बर 458 रकबा 0.05 बीघा गैरमुमकिन में से**, हिस्सा 1/2 भाग का वादीगण को व हिस्सा 3/8 भाग का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 को तथा शेष हिस्सा 1/8 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को खातेदार घोषित किया जाता है।

3. **खसर नम्बर 457 रकबा 0.07 बीघा में से,** हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 01 को व हिस्सा 1/4 भाग का वादी संख्या 02 को व हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा शेष हिस्सा 1/4 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 को खातेदार घोषित किया जाता है।

4. उपर्युक्त खसरान् से सम्बन्धित रहन सम्बन्धित खातेदारान् के ही बदस्तूर जारी रहेगा।

5. वादीगण के पक्ष में, जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि, उपर्युक्त खसरान् संख्या 457, 458 व 459 में से वादीगण/पक्षकारान् के हिस्से/कब्जाकाश्त की भूमि में किसी प्रकार दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें।

उपर्युक्त घोषित खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ"/प्रदर्श–03 दिनॉंक 11.06.2012, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **30.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजाह			महनताना वकील		
सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट [illegible] डीडवाना

Scanned by CamScanner